# ब न्यायालय, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बरही।

## विविध वाद सं0–24/13–14

## प्रमेश्वर प्रसाद केशरी –बनाम– पार्वती देवी

| दिनांक | –: आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर :– | अभियुक्ति |
|---|---|---|

प्रस्तुत वाद आवेदक प्रमेश्वर प्रसाद केशरी, ग्राम बरही, थाना बरही, जिला हजारीबाग ने अपने अधिवक्ता के माध्यम से वाद लाया गया है, जिसमें मौजा बरही, अन्तर्गत खाता संख्या 326 प्लॉट संख्या 8207 रकबा 0.04 ए0 तथा प्लॉट संख्या 8208, रकबा 0.07 ए0 कुल रकबा 0.11 ए0 खतियानी भूमि है, जिसमें विपक्षी द्वारा रकबा 03 डी0 भूमि पर अवैध तरीके से दखल कब्जा कर भूमि को हडपना चाहती है, चूंकि द्वितीय पक्ष के पति ने अंचल अधिकारी, बरही को अंधेरे में रखकर उक्त भूमि में से 03 डी0 भूमि का पर्चा के आधार पर जमाबंदी कायम करवा कर मालगुजारी रसीद प्राप्त कर रही है, जो अनुचित है। साथ ही आवेदक द्वारा विपक्षी के नाम से कायम किये गये जमाबंदी को रद्द करने हेतु अनुरोध किया है।

उक्त प्रक्रिया में दलील सुनने एवं आवेदन से संतुष्ट होते हुए वाद की प्रक्रिया शुरू की गई एवं उभय पक्षों को अपना कारणपृच्छा दाखिल करने के लिए नोटिस किया गया तथा उपरोक्त भूमि से संबंधित अंचल अधिकारी, बरही से विस्तृत जांच प्रतिवेदन की मांग की गई।

प्रक्रिया में प्रथम पक्ष न्यायालय में उपस्थित होकर अपने अधिवक्ता के माध्यम से लिखित कारणपृच्छा समर्पित किया है, जिसमें कहा है कि प्रश्नगत भूमि मौजा बरही अन्तर्गत खाता संख्या 326 प्लॉट संख्या 8207 रकबा 0.04 ए0 तथा प्लॉट संख्या 8208, रकबा 0.07 ए0 कुल रकबा 0.11 ए0 भूमि रैयति भूमि है, जो खतियानी रैयत पुनीत साव वो मानो साव वो गानो साव पिता कानू साव के नाम से दर्ज है तथा बराबर के हिस्से में काबिज है, परन्तु पुनीत साव अविवाहित मृत्यु पश्चात दो भाई मानो साव एवं गानो साव पिता कानू साव ने केवाला संख्या 12007 वर्ष 1973 द्वारा अपने पत्नि लक्ष्मी देवी को केवाला कर दिये जो प्रथम पक्ष प्रमेश्वर प्रसाद केशरी के माता है। आवेदक के माता द्वारा भूमि खरीदगी के पश्चात दखल कब्जा में आये तथा उनके मृत्यु उपरान्त आवेदक प्रमेश्वर प्रसाद केशरी प्रश्नगत भूमि पर दखल कब्जा में आये तथा भूमि के कुछ भाग का बिक्री भी किये है एवं शेष भूमि रकबा $7\frac{1}{2}$ डी0 भूमि पर आवेदक का दखल कब्जा में है एवं आवेदक के माता लक्ष्मी देवी के नाम से लगान रसीद वर्ष 2013 तक निर्गत है। यह भी कहना है कि द्वितीय पक्ष पार्वती देवी प्रथम पक्ष प्रमेश्वर प्रसाद केशरी के बहन है जो अपने पति नागेश्वर प्रसाद केशरी एवं बच्चे के साथ प्रथम पक्ष के घर मे किरायेदार के रूप मे रह रही थी। विपक्षी के पति घर एवं भूमि हडपने के नियत से प्रथम पक्ष को बिना जानकारी दिये तथा अंचल अधिकारी, बरही को अंधेरे में रखकर फर्जी दस्तावेज एवं कागजात के आधार पर बिना भौतिक सत्यापन के प्रश्नगत खाता संख्या 326, प्लॉट संख्या 8207 रकबा 0.02 ए0 एवं प्लॉट संख्या 8208, रकबा 0.01 ए0 कुल रकबा 0.03 ए0 भूमि का बासकित पर्चा निर्गत करवा लिया तथा जिला भू–अर्जन कार्यालय से प्रथम पक्ष के नाम से प्लॉट संख्या 8207 का चेक बनाया

गया था, जबकि यह स्पष्ट उल्लेख है कि प्रश्नगत भूमि रैयति खाते की भूमि है तथा पंजी।। में कुल 11 डी0 भूमि लक्ष्मी देवी पति मानो साव वो गानो साव के नाम से जमाबंदी कायम है। यह भी कहना है कि उसी खाता संख्या 326 प्लॉट संख्या 8207 रकबा 0.04 ए0 एवं प्लॉट संख्या 8208 रकबा 0.07 ए0 कुल 11 डी0 भूमि पर द्वितीय पक्ष पार्वती देवी पति नागेश्वर प्रसाद केशरी द्वारा पार्टीशन सूट वाद संख्या 95/2000 दायर किया गया, जिसे खारिज किया गया है। साथ ही आवेदक द्वारा अनुरोध किया है कि विपक्षी का अवैध रूप से चल रहे जमाबंदी को रद्द किया जाय।

उक्त प्रक्रिया में द्वितीय पक्ष अपने अधिवक्ता के माध्यम से कारण पृच्छा दाखिल किये तथा Intervenor रंजीत कुमार केशरी पिता नागेश्वर प्रसाद केशरी द्वारा आवेदन दिया है जिसमें कहा है कि मौजा बरही, अन्तर्गत खाता संख्या 326 प्लॉट संख्या 8207 रकबा 0.04 ए0 तथा प्लॉट संख्या 8208, रकबा 0.07 ए0 कुल रकबा 0.11 ए0 भूमि से संबंधित है, जो रैयत पुनीत साव वो गांनो साव के नाम से दर्ज है,जिसमें रैयत पुनीत साव का नावल्द मृत्यु हो गयी उसके पश्चात सम्पूर्ण भूमि जीवित भाई गानो साव को हस्तांतरित हो गया। नागेश्वर साव की विवाह पार्वती देवी से हुइ उसके पश्चात गानो साव के घर में रहने लगे तथा गानो साव के दैनिक कार्यो में मदद करने लगे, परन्तु नागेश्वर प्रसाद केशरी के भूमिहिन नाते वर्ष 1997 में बासगीत पर्चा के लिए आवेदन किया जिसमें प्लॉट संख्या 2807 रकबा 0.02 ए0 एवं प्लॉट संख्या 8208 रकबा 0.01 ए0 कुल रकबा 0.03 ए0 भूमि प्राप्त हुआ जिसे अंचल अधिकारी के समुचित सत्यापन एवं जांच के पश्चात 30 वर्षो से दखल कब्जा के बाद 26/98–99 दिनांक 11.08.98 को बासगीत पर्चा जारी किया गया तथा मालगुजारी देने लगा। यह बासगीत पर्चा अचंल अधिकारी, बरही द्वारा इस्तेहार एवं भौतिक सत्यापन के बाद नियमानुसार जांच के उपरान्त जारी किया गया। यह भी कहना है कि आवेदक प्रमेश्वर प्रसाद केशरी का दावा गलत है चुंकि पर्चा जारी होने के पश्चात बहुत लम्बे समय के बाद वाद लाया गया जो अनुचित है तथा पार्टीशन सूट 95/2000 हिस्सा से संबंधित वाद था जिसे हजारीबाग में खारिज किया गया था, परन्तु वर्ष 2005 के बाद आदेश पारित है कि माता–पिता के संपति पर पुत्री का भी अधिकार है। जिसके अनुसार विपक्षी पावर्ती देवी पंजीकृत संपति की बराबर की उत्तराधिकारी है एवं विवादित भूमि तथा अन्य भूमि पर उनका अधिकार एवं स्वामित्व और दखल कब्जा है। साथ ही कहना है कि नागेश्वर प्रसाद केशरी (विपक्षी पार्वती देवी के पति) को बासगीत से प्राप्त भूमि खाता संख्या 326, प्लॉट संख्या 8207, रकबा 0.02 ए0 एवं प्लॉट संख्या 8208 रकबा 0.01 ए0 कुल 0.03 ए0 भूमि जिसकी चौहदी उ0–नीज, द0–आम गली, पू0–सड़क एवं प0–गली घेरा हुआ है वाली भूमि का अंचल अधिकारी, बरही द्वारा जांच पडताल के पश्चात नागेश्वर प्रसाद केशरी के नाम से दाखिल खारिज किया गया तथा लगान रसीद अद्यतन निर्गत है। उसके पश्चात नागेश्वर प्रसाद केशरी द्वारा अपने अधिकार एवं शीर्षक हित में अपने पुत्र रंजीत कुमार केशरी के नाम वसीहत दिनांक 15.04.2011 को कर दिया। तथा साथ ही विपक्षी एवं Intervenor द्वारा अनुरोध किया है कि प्रथम पक्ष का दावा निराधार मानते हुए आवेदक के आवेदन को निरस्त किया जाय।

प्रक्रिया में अंचल अधिकारी, बरही के जांच प्रतिवेदन 706, दिनांक

10.10.14 के द्वारा प्रतिवेदित किया है कि मौजा बरही, अन्तर्गत खाता संख्या 326 प्लॉट संख्या 8207 रकबा 0.04 ए0 तथा प्लॉट संख्या 8208, रकबा 0.07 ए0 भूमि खतियान में पुनीत साहु, गानो साहु पिता फनू साहु के नाम से रैयति खाता दर्ज है, वर्तमान में पंजी–।। के पेज संख्या 165/8 पर खाता संख्या 326 में कुल रकबा 0.11 ए0 भूमि की जमाबंदी लक्ष्मी देवी पति मानो साव के नमा से कायम है। उक्त जमाबंदी से रकबा $0.03\frac{1}{2}$ ए0 घटाकर वर्तमान में $0.07\frac{1}{2}$ ए0 भूमि की जमाबंदी कायम है एवं रसीद वर्ष 1999–2000 तक निर्गत है। परिवर्तन के प्राधिकार कॉलम में दाखिल खारिज वाद संख्या 52/99–00 अंकित है तथा वर्तमान पंजी–।। के पेज संख्या 3/18 पर खाता संख्या 326, प्लॉट संख्या 8207, 8208 रकबा क्रमशः 02 डी0 एवं 01 डी0 कुल रकबा 03 डी0 भूमि की जमाबंदी प्रमेश्वर प्रसाद केशरी पिता स्व0 किसुन प्रसाद केशरी के नाम से कायम होकर लगान रसीद वर्ष 1952–53 से 2011–12 तक निर्गत है। परिवर्तन के प्राधिकार कॉलम में Privileged Parcha Case No. (बासगीत) 26/98–99 to the order of A.A Barhi अंकित है। वर्तमान स्थानीय जांच के क्रम में पाया गया कि बासगीत पर्चाधारी प्रमेश्वर प्रसाद केशरी का उपरोक्त भूमि पर दखल कब्जा है।

उक्त वाद में उभय पक्षों का कारणपृच्छा, राजस्व कागजात एवं अंचल अधिकारी का जांच प्रतिवेदन के अवलोकनोपरान्त तथा उभय पक्षों के विद्यवान अधिवक्ताओं को सुनने एवं समीक्षोंपरान्त यह प्रतीत होता है कि खाता संख्या 326, प्लॉट संख्या 8207 एवं 8208 कुल रकबा 11 डी0 भूमि रैयति खाते की भूमि है एवं खतियान में पुनीत साहु, गानो साहु पिता फनु साहु के नाम दर्ज है। संविक्षा में यह भी पाया गया कि वादी एवं प्रतिवादी दानों के पिता गानो साव यानि भाई–बहन है। यह भी कि उभय पक्षों के बीच Partition suit No. 95 /2000. Court of civil judge (sr. Div) I Hazaribag में Judgement पारित है, जिसके आलोक में Intervenor Ranjeet Kumar Keshri title appeal No. 52/2019 court of District Judge VII Hazaribag गया एवं आदेश पारित है, जबकि प्रमेश्वर प्रसाद केशरी के अधिवक्ता द्वारा सूचित किया गया कि द्वितीय पक्ष अपील उच्च न्यायालय, रांची में प्रमेश्वर प्रसाद केशरी बनाम संजीत कुमार केशरी दायर किया गया है एवं विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में पुनः प्रमेश्वर प्रसाद केशरी द्वारा निम्न न्यायालय में वाद लाया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। सक्षम न्यायालय के आदेशानुसार अग्रेतर कार्रवाई किया जाना न्यायोचित जान पडता है। अतः आवेदक के आवेदन को इस हद तक खारिज किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

Digitally signed by Ajay Bhagat
Date: 2025.08.13 16:04:12 +05:30
Location: 192.168.1.136

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
बरही, हजारीबाग।

8/10/24
भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
बरही, हजारीबाग।